पत्र सं0 : 06/के0ब0 योजना–01/2026-34(6)ब स्वा0,

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 19-11-2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना अन्तर्गत IM and Kind Grants under National Rural Health Mission योजनाओं के लिए कुल 1,73,00,00,000/– (एक अरब तिहत्तर करोड़) रुपए मात्र के व्यय पर योजना की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश सं0– 04(21)ब दि0 04.07.2022, 27(21)ब दिनांक– 29.03.2023, 03(21)ब दिनांक–25.05.2023, 02(06), दिनांक–27.05.2024, 05(06) दिनांक–19.05.2025 एवं 16(06)ब दिनांक–24.06.2026 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना (60 प्रतिशत केन्द्रांशः 40 प्रतिशत राज्यांश) अन्तर्गत IM and Kind Grants under National Rural Health Mission योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में उपबंधित राज्यांश की राशि कुल 1,73,00,00,000/– (एक अरब तिहत्तर करोड़) रुपए मात्र के व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन–वित्त प्रभाग, भारत सरकार के पत्रांक–G27034/01/2022-23-NHM –Finance(E-8164785) दिनांक–31.05.2022 एवं वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के पत्रांक–F-No.1(10)/PFMS/2022 दिनांक– 30.05.2022 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का विलय Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and National Urban Health Mission (4063) में किया गया है। इस आशय का शुद्धि पत्र वित्त विभाग के पत्रांक–363/बजट दिनांक–28.06.2022 द्वारा निर्गत किया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–G.27017/40/2025-26/NHM-F दिनांक–09.10.2025 के द्वारा SNA SPARSH Platform के अतंर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) योजान्तर्गत Commodity Grants एवं Infrastructure Maintenance Grants में राज्यांश की राशि हेतु एक अलग SLS (0:100) खोलते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में इस हेतु Create किये गये SLS के अतंर्गत नया बजट शीर्ष खोला गया है।

3. यह चालू योजना है। अतएव मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना ज्ञापांक 1269 दि0 21.09.2023 की कंडिका 9.4 के आलोक में यह स्वीकृति प्रदान की जा रही है ।

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

4. वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड द्वारा प्रस्तुत PIP पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत RoP एवं केन्द्रांश मद की विमुक्त राशि के अधीन इस स्वीकृत राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जाएगा ।

5. वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–714, दिनांक–09.10.2024 द्वारा पी0एफ0एम0एस0 डिविजन, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–I-(27)/PFMS/2020 दिनांक–04.10.2024 के आलोक में **Flexible Pool for RCH & Health System Strengthening, National Health Programme and Urban Health Mission Under National health Mission** को SNA SPARSH MODEL अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने की सूचना दी गई है। राशि की निकासी/व्यय SNA SPARSH प्रक्रिया के तहत ही की जाएगी।

6. आवंटित की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची, जिला स्तर पर संबंधित जिले के सिविल सर्जन एवं क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र/संस्थान के प्रभारी/उपाधीक्षक होंगे।

विभाग द्वारा जिला स्तर पर संबंधित जिले के सिविल सर्जन को राशि आवंटित की जायेगी, जिसके क्रम में सभी सिविल सर्जनों द्वारा उनको आवंटित राशि, उनके अधीनस्थ संस्थानों के प्रभारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निम्न तालिकानुसार यथा आवश्यक उप आवंटित करते हुए राशि का निकासी/व्यय सुनिश्चित किया जायेगा–

क्र0सं0	स्वास्थ्य केन्द्र/संस्थान का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम
1	स्वास्थ्य उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
2	रेफरल अस्पताल	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, संबंधित रेफरल अस्पताल
3	अनुमण्डल अस्पताल	उपाधीक्षक, संबंधित अनुमण्डल अस्पताल
4	सदर अस्पताल	उपाधीक्षक, संबंधित सदर अस्पताल

राशि की निकासी/व्यय SNA SPARSH प्रक्रिया के तहत् ही की जाएगी।

उक्त योजना हेतु राशि का व्यय योजना सह वित्त विभाग द्वारा दिए गए परामर्श के क्रम में निर्गत विभागीय पत्रांक 145 दि0 18.09.2017 के आलोक में कार्रवाई करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा ।

7. राशि की निकासी संबंधित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

8. इस सम्पूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

34(6)वि
19-11-2026

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

9. अभियान निदेशक, एन0एच0एम0, झारखण्ड, राँची स्वीकृत राशि के व्यय के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि योजनाओं/कार्यक्रमों की स्वीकृति सक्षम स्तर/प्राधिकार से प्राप्त है। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पूर्व में स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित किए जाने के बाद इस राशि का व्यय हो । साथ ही, आन्तरिक अंकेक्षण एवं उसका अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएँगे ।

10. राज्यांश की राशि का आवंटन गत वर्षो में राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि के लिए ही निर्गत किया जाएगा ।

11. गत वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद में विमुक्त राशि के विरूद्ध राज्यांश मद में आवंटन निर्गत नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में उसके अनुरुप राज्यांश मद की राशि का आवंटन इस स्वीकृत राशि से किया जाएगा ।

12. राशि का व्यय स्वीकृत योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार द्वारा विहित शर्त्तों/निर्देशों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2026–27 में किया जायेगा।

13. इस योजना हेतु व्यय का वहन संलग्न परिशिष्ट–1 में अंकित बजट शीर्षो के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के राजस्व/पूंजी पर व्यय के प्रथम अनुपूरक उपबंधित राशि से किया जायेगा।

14. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, नामकुम, राँची एवं निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड का दायित्व होगा कि व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय भारत सरकार, महालेखाकार एवं स्वास्थ्य विभाग को सपर्पित करेंगे।

15. इसमें माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

ज्ञाप संख्या– 34(6) द रांची, दिनांकः 19-11-2026

प्रतिलिपिः माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, नामकुम, राँची/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रशाखा के प्रभारी पदा0, स्वास्थ्य विभाग/सभी सिविल सर्जन/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, नेपाल हाउस, राँची/योजना बजट प्रशाखा–05, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट–1

वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना (60 प्रतिशत केन्द्रांश : 40 प्रतिशत राज्यांश) अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन आईएम एवं काइंड ग्रांट (IM and Kind Grants under National Rural Health Mission) योजना पर व्यय के लिए राज्यांश मद में राज्य के राजस्व/पूंजी पर व्यय के प्रथम अनुपूरक आगणन की स्वीकृत राशि की विवरणी ।

राशि रुपए में ।

क्र0	मद	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	राज्यांश मद	राज्य को केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत योजनाएँ– बजट मुख्यशीर्ष– 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी– 103– केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना–AC– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन आईएम एवं काइंड ग्रांट (IM and Kind Grants under National Rural Health Mission) –06– अनुदान– 79– सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (विपत्र कोड –20–एस–2210–01–103– AC–00–06–79)	1,07,00,00,000
2		बजट मुख्यशीर्ष– 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी– 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–AC– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन आईएम एवं काइंड ग्रांट (IM and Kind Grants under National Rural Health Mission) –06– अनुदान– 79– सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (विपत्र कोड–20–एस– 2210–01–789– AC–00–06–79)	29,00,00,000
3		बजट मुख्यशीर्ष– 2210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य– 01– शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी– 796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–AC– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन आईएम एवं काइंड ग्रांट (IM and Kind Grants under National Rural Health Mission) 06– अनुदान– 79– सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) (विपत्र कोड –20–एस–2210–01–796–AC–00–06–79)	37,00,00,000
	ए	योग (राज्यांश)	1,73,00,00,000
		कुल योग (राज्यांश):–	1,73,00,00,000

कुल 1,73,00,00,000/– (एक अरब तिहत्तर करोड़) रुपए मात्र ।

34(6)वि
19-11-2026.

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।